



No 021874

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 518

वर्ष 2013-14

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि "कृष्ण मोहन शुक्ला शिक्षण शोध संस्थान,"

ग्राम पोस्ट थाना- सुरेश, जिला- वैशाली (बिहार), पिनकोड- 844125.

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 21 मास मार्च वर्ष 2013 को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संख्या निबन्धन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबन्धन विभाग मात्र संस्था का निबन्धन करता है। निबन्धन का संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रभाष या वित्तीय सहायता के प्रावोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए।

12/03/14
1210314
महाविशेषक, निबन्धन, बिहार, पटना।